Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

46-2016/Ext.] CHANDIGARH, TUESDAY, MARCH 29, 2016 (CHAITRA 9, 1938 SAKA)

HARYANA VIDHAN SABHA SECRETARIAT

Notification

The 29th March, 2016

No.16-HLA of 2016/19.— The Haryana Backward Classes Commission Bill,2016, is hereby published for general information under proviso to Rule 128 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly :-

Bill No. 16- HLA of 2016

THE HARYANA BACKWARD CLASSES COMMISSION BILL, 2016

A

BILL

to constitute the Haryana Backward Classes Commission and to provide for matters connected therewith or incidental thereto.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-seventh Year of the Republic of India as follows :-

1. This Act may be called the Haryana Backward Classes Commission Act, 2016. Short title.

2. In this Act, unless the context otherwise requires,- Definitions.

(a) “Backward Classes” means such Backward Classes as notified by the State Government in the Official Gazette from time to time;

(b) “Commission” means the Haryana Backward Classes Commission constituted under section 3;

(c) "Member" means a Member of the Commission and includes the Chairperson;

(d) "prescribed" means prescribed by the rules made under this Act;

(e) “State Government” means the Government of the State of Haryana.

Constitution of Haryana Backward Classes Commission.

3. (1) The State Government, by notification in the Official Gazette, shall constitute a body to be known as the Haryana Backward Classes Commission to exercise the powers conferred on and to perform the functions assigned to it under this Act.

(2) The Commission shall consist of the following Members to be nominated by the State Government, namely:-

(a) a Chairperson, who is or has been a Judge of the High Court;

(b) a social scientist;

(c) two persons, who have special knowledge in matters relating to Backward Classes; and

(d) a Member-Secretary, who is or has been an officer of the State Government not below the rank of Secretary to the Government, Haryana.

Term of office and conditions of service of Chairperson and Members.

4. (1) Every Member shall hold office for a term of three years from the date he assumes office.

(2) A Member may, by writing under his hand addressed to the State Government, resign from his office at any time.

(3) The State Government shall remove a Member if he,-

(a) becomes an undischarged insolvent; or

(b) is convicted and sentenced to imprisonment for an offence which in the opinion of the State Government involves moral turpitude; or

(c) becomes of unsound mind and stands so declared by a competent court; or

(d) refuses to act or becomes incapable of acting; or

(e) is, without obtaining leave of absence from the Commission, absent from three consecutive meetings of the Commission; or

(f) has, in the opinion of the State Government, so abused the position of Member as to render that person's continuance in office detrimental to the interests of Backward Classes or the public interest:

Provided that no person shall be removed under this sub-section until that person has been given an opportunity of being heard in the matter.

(4) A vacancy caused under sub-section (2) or otherwise shall be filled by fresh nomination.

(5) The salaries and allowances payable to and the other terms and conditions of service of the Chairperson and Members shall be such, as may be prescribed.

Officers and other employees of Commission.

5. (1) The State Government shall provide the Commission with such officers and employees, as may be necessary, for the efficient performance of the functions of the Commission under this Act.

(2) The salaries and allowances payable to and other terms and conditions of service of the officers and other employees appointed for the purpose of the Commission shall be such, as may be prescribed.

Salaries and allowances to be paid out of grants.

6. The salaries and allowances payable to the Chairperson and Members and the administrative expenses, including salaries, allowances and pensions payable to the officers and other employees shall be paid out of the grants referred to in sub-section (1) of section 12.

Vacancy not to invalidate proceedings of Commssion.

7. No act or proceedings of the Commission shall be invalid merely on the ground of the existence of any vacancy, absence of Member or defect in the constitution of the Commission.

Procedure to be regulated by Commission.

8. (1) The Commission shall meet as and when necessary, at such time and place, as the Chairperson may think fit.

(2) The Commission shall regulate its own procedure.

(3) All orders and decisions of the Commission shall be authenticated by the Member-Secretary or any other officer of the Commission duly authorized by the Member-Secretary in this behalf.

Functions of Commission.

9. The Commission shall examine requests for inclusion or exclusion of any class of citizens as a Backward Class and hear complaints of over-inclusion or under-inclusion of any Backward Class and tender such advice to the State Government, as it deems appropriate.

Powers of Commission.

10. The Commission shall, while performing its functions under section 9, have all the powers

of a civil court trying a suit and in particular, in respect of the following matters, namely:-

(a) summoning and enforcing the attendance of any person from any part of India and examining him on oath;

(b) requiring the discovery and production of any document;

(c) receiving evidence on affidavits;

(d) requisitioning any public record or copy thereof from any court or office;

(e) issuing commissions for the examination of witnesses and documents; and

(f) any other matter which may be prescribed.

Periodic revision of Backward Classes.

11. (1) The State Government may, at any time and shall at the expiration of ten years from the coming into force of this Act and every succeeding period of ten years thereafter, undertake the revision of the Backward Classes.

(2) The State Government while acting under sub-section (1) shall consult the Commission.

Grants by State Government.

12. (1) The State Government shall, after due appropriation made by the State Legislature by law in this behalf, pay to the Commission by way of grants, such sums of money, as the State Government may think fit for being utilized for the purposes of this Act.

(2) The Commission may spend such sums, as it thinks fit for performing the functions under this Act, and such sums shall be treated as expenditure payable out of the grants referred to in sub-section (1).

Accounts.

13. The Commission shall maintain proper accounts and other relevant records and prepare an annual statement of accounts in such form, as may be prescribed.

Annual Report.

14. (1) The Commission shall prepare, in such form and at such time, for each financial year, as may be prescribed, its annual report giving a full account of its activities during the previous financial year and forward a copy thereof to the State Government.

(2) The State Government shall cause the annual report to be laid before the State Legislature.

Chairperson, Members and employees of Commission to be public servants.

15. The Chairperson, Members and Employees of the Commission shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code,1860 (45 of 1860).

Power to make rules.

16. (1) The State Government may, by notification in the Official Gazette, make rules for carrying out the provisions of this Act.

(2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing powers, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-

(a) salaries and allowances payable to, and the other terms and conditions of service of Members;

(b) the form in which the annual statement of accounts shall be prepared under section 13;

(c) the form in, and the time at, which the annual report shall be prepared under section 14;

(d) any other matter which is required to be, or may be, prescribed.

(3) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislature.

Power to remove difficulties.

17. (1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order published in the Official Gazette, make provisions, not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient, for removing the difficulty.

(2) Every order made under sub-section (1) shall, as soon as may be after it is made, be laid before the State Legislature.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

As per provisions under Article 340 of the Constitution to sort-out the issue of social and economic backwardness of various castes, the Haryana Government set up its First Backward Classes Commission on 7th September, 1990 under the Chairmanship of Mr. Justice Gurnam Singh (Retd.). On the recommendations of the Commission, the State Government *vide* its Notification No. 299-SW(1) dated 05.02.1991 included ten castes, Ahir, Bishnoi, Meo, Gujjar, Jat, Jat Sikh, Ror, Saini, Tyagi and Rajput in list of Backward Classes and provided reservation to these castes on 05.04.91. The State Government re-examined the reservation policy and issued order on 12.09.1991 that till a final decision is taken, recruitment will be made according to the status prevalent prior to the letter issued on 05.04.91.

On the recommendations of second Backward Classes Commission, the State Government on 07.06.95 included five castes namely, Ahir/Yadav, Gujjar, Saini, Meo, Lodh and Lodha in the list of Backward Classes. Further, on 20.07.95, the Backward Classes were bifurcated in two Blocks 'A' and 'B' and provided 27 percent reservation, 16 percent to Block 'A' and 11 percent to Block 'B'.

Since, the State Government had been receiving various representations from various other castes including Jat, Jat Sikh, Ror, Tyagi, Bishnoi and Mulla Jats/Muslim Jats for providing reservation in Government jobs and Educational Institutions, the Haryana Government *vid*e its notification dated 8th April, 2011 reconstituted the Haryana Backward Classes Commission under the Chairmanship of Justice (Retd.) K.C. Gupta. On the basis of study got conducted by the Commission from MDU, Rohtak, it submitted its recommendations on 12.12.2012 and recommended 10 percent reservation in employment in Group 'C' and 'D' posts and in admission in educational institutions for these castes in addition to the already notified 27 percent reservation to the Backward Classes. 4 percent reservation was also provided in Group 'A' and 'B' posts on 28.02.2013 (later on increased to 5 percent on 15.07.2014).

The above decision of the State Government was challenged by various individuals and associations in Hon'ble Punjab and Haryana High Court. Thereafter, it was suggested that the State Government may give statutory status to the Haryana Backward Classes Commission on the pattern of National Commission for Backward Classes Act, whose advice shall ordinarily be binding upon the State Government. The matter was also examined by the Committee constituted under the Chairmanship of Chief Secretary to Government of Haryana and it has been suggested that steps be taken to constitute the Haryana Backward Classes Commission by giving it statutory status.

Article 340 of the Constitution provides for the appointment of a Commission to investigate the conditions of and the difficulties faced by the Socially and Educationally Backward Classes and to make appropriate recommendations. The Hon'ble Supreme Court of India in its judgement dated 16.11.1992 in Writ Petition (Civil) No. 930 of 1990- Indira Sawhney & others *versus* Union of India and Others reported in (1992) Supp. 3 SCC 217 directed the Government of India, State Governments and Union Territory Administrations to constitute a permanent body in the nature of a Commission or Tribunal for entertaining, examining and recommending upon requests for inclusion and complaints of over-inclusion and under-inclusion in the list of Other Backward Classes of Citizens. Under above provisions, the State Governments have the power to create a permanent mechanism in the nature of a Commission for examining the above referred issues and the matters connected to Other Backward Classes and to advise the Government whose advice shall ordinarily be binding upon the Government.

The State wide protests erupted demanding reservation in Government employment and admission in Educational Institutions. On the basis of report of the Committee constituted under the Chairmanship of Chief Secretary to Government of Haryana, the State Government has decided to set up a permanent mechanism and to give a statutory status to the Haryana Backward Classes Commission by enacting a separate Legislation.

Moreover, demands of inclusion, deletion or change of Blocks within the Backward Classes are likely to arise in future also from different communities. Therefore, it has become imperative that Haryana Commission for Backward Classes be set up.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objectives.

Hence the Bill.

KRISHAN KUMAR BEDI,
Welfare of Scheduled Castes & Backward Classes,
Minister, Haryana.

The Governor has, in pursuance of Clauses (1) and (3) of Article 207 of the Constitution of India, recommended to the Haryana Legislative Assembly the Introduction and consideration of the Bill.

Chandigarh:
The 29th March, 2016.

R. K. NANDAL,
Secretary.

FINANCIAL MEMORANDUM

As per section 3 of "The Haryana Backward Classes Commission Bill,2016" there is a provision of creation of State Commission for Backward Classes. The expenses of the establishment of the Commission and its Officers as well as the expenditure shall be charged from the Haryana Government Treasury.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Clause 16 of the proposed Bill empowers State Government to frame for carrying out the purposes of the Act. This delegation of powers to the Executive is of normal character. Hence, the memorandum regarding delegated legislation as required under rule 126 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Haryana Legislative Assembly is enclosed.

[प्राधिकृत अनुवाद]

2016 का विधेयक संख्या 16–एच0एल0ए0

हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2016

हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने तथा इससे सम्बन्धित या उसके अनुषंगिक मामलों के लिए उपबन्ध करने हेतु

विधेयक

भारत गणराज्य के सड़सठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

1. यह अधिनियम हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग अधिनियम, 2016, कहा जा सकता है। संक्षिप्त नाम।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,– परिभाषाएं।

(क) ''पिछड़े वर्ग'' से अभिप्राय है, राज्य सरकार द्वारा, समय–समय पर, राजपत्र में यथा अधिसूचित ऐसे पिछड़े वर्ग ;

(ख) ''आयोग'' से अभिप्राय है, धारा 3 के अधीन गठित हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग ;

(ग) ''सदस्य'' से अभिप्राय है, आयोग का सदस्य तथा इसमें अध्यक्ष भी शामिल है ;

(घ) ''विहित'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित ;

(ङ) ''राज्य सरकार'' से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य की सरकार।

3. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के अधीन इसको प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने के लिए, तथा इसको सौंपे गए कृत्यों का पालन करने के लिए हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में ज्ञात किसी निकाय का गठन करेगी। हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन।

(2) आयोग राज्य सरकार द्वारा नामांकित किए जाने वाले निम्नलिखित सदस्यों से गठित होगा, अर्थात् :–

(क) अध्यक्ष, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश है या रहा है ;

(ख) सामाजिक वैज्ञानिक ;

(ग) दो व्यक्ति, जो पिछड़े वर्गों से सम्बन्धित मामलों में विशेष ज्ञान रखते हों ; तथा

(घ) सदस्य–सचिव, राज्य सरकार का कोई अधिकारी है या रहा है जो सचिव, हरियाणा सरकार की पदवी से नीचे का न हो ।

4. (1) प्रत्येक सदस्य तिथि जिसको वह पद ग्रहण करता है, से तीन वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा। अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि तथा सेवा शर्तें।

(2) कोई सदस्य, राज्य सरकार को सम्बोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा, किसी समय अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है।

(3) राज्य सरकार किसी सदस्य को हटाएगी, यदि वह,–

(क) अनुन्मोचित दिवालिया हो जाता है; या

(ख) किसी अपराध, जो राज्य सरकार की राय में, नैतिक अधमता वाला है, के लिए दोषसिद्ध किया गया है और कारावास से दण्डित किया गया है; या

(ग) विकृतचित हो जाता है और सक्षम न्यायालय द्वारा इस प्रकार घोषित किया जाता है; या

(घ) कार्य करने से इन्कार करता है या कार्य करने में असमर्थ हो जाता है;

(ङ) अवकाश प्राप्त किए बिना आयोग से अनुपस्थित रहता है, आयोग की लगातार तीन बैठकों से अनुपस्थित रहता है; या

(च) राज्य सरकार की राय में, सदस्य के पद का इस प्रकार दुरूपयोग किया है कि उस व्यक्ति का पद पर बना रहना पिछड़े वर्गों के हितों या लोक–हित के लिए अहितकर है:

परन्तु कोई भी व्यक्ति इस उपधारा के अधीन तब तक नहीं हटाया जाएगा, जब तक उस व्यक्ति को मामले में सुनवाई का अवसर न दे दिया गया हो।

(4) उप–धारा (2)या अन्यथा के अधीन हुई कोई रिक्ति नये नामांकन द्वारा भरी जाएगी।

(5) अध्यक्ष तथा सदस्यों को भुगतानयोग्य वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबन्धन तथा शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

आयोग के अधिकारी तथा अन्य कर्मचारी।

5. (1) राज्य सरकार, आयोग को ऐसे अधिकारी तथा कर्मचारी उपलब्ध करवाएगी जो इस अधिनियम के अधीन आयोग के कृत्यों का दक्षतापूर्ण पालन करने के लिए आवश्यक हों।

(2) आयोग के प्रयोजन के लिए नियुक्त अधिकारियों तथा अन्य कर्मचारियों को भुगतानयोग्य वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबन्धन तथा शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं।

अनुदानों में से भुगतान किए जाने वाले वेतन और भत्ते।

6. अध्यक्ष तथा सदस्यों को भुगतानयोग्य वेतन और भत्ते तथा अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को भुगतानयोग्य वेतन, भत्ते तथा पेंशन सहित प्रशासकीय खर्च धारा 12 की उप–धारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से दिए जाएंगे।

रिक्तियों का आयोग की कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना।

7. आयोग का कोई भी कार्य या कार्यवाहियां केवल किसी रिक्ति के विद्यमान होने, सदस्य की अनुपस्थिति या आयोग के गठन में त्रुटि के आधार पर अविधिमान्य नहीं होंगी।

आयोग द्वारा विनियमित की जाने वाली प्रक्रिया।

8. (1) आयोग, जब कभी आवश्यक हो, ऐसे समय तथा स्थान पर बैठक करेगा, जैसा अध्यक्ष उचित समझे।

(2) आयोग अपनी प्रक्रिया स्वयं विनियमित करेगा।

(3) आयोग के सभी आदेश तथा निर्णय सदस्य–सचिव या इस निमित्त सदस्य–सचिव द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत आयोग के किसी अन्य अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किए जाएंगे।

आयोग के कृत्य।

9. आयोग पिछड़े वर्ग के रूप में नागरिकों के किसी वर्ग को शामिल करने या निकालने के लिए अनुरोधों का परीक्षण करेगा तथा किसी पिछड़े वर्ग को अधिक शामिल करने या कम शामिल करने की शिकायतों की सुनवाई करेगा तथा राज्य सरकार को सलाह देगा, जैसा वह उचित समझे।

आयोग की शक्तियां।

10. आयोग को, धारा 9 के अधीन अपने कृत्यों का पालन करते समय, वाद के विचारण के लिए तथा विशेषतया निम्नलिखित मामलों के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय की सभी शक्तियां होंगी, अर्थात् :–

(क) भारत के किसी भाग से किसी व्यक्ति को समन करना तथा हाजिर करवाना तथा शपथ पर उसका परीक्षण करना ;

(ख) किसी दस्तावेज के प्रकटीकरण तथा प्रस्तुतीकरण की अपेक्षा करना ;

(ग) शपथ–पत्रों पर साक्ष्य प्राप्त करना ;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रति की मांग करना ;

(ङ) गवाहों तथा दस्तावेजों के परीक्षण के लिए कमीशन देना ; तथा

(च) कोई अन्य मामला, जो विहित किया जाए।

पिछड़े वर्ग का नियतकालिक पुनरीक्षण।

11. (1) राज्य सरकार किसी भी समय पर, तथा इस अधिनियम के लागू होने से दस वर्ष की समाप्ति तथा उसके बाद दस वर्ष की प्रत्येक उत्तरवर्ती अवधि पर पिछड़े वर्गों का पुनरीक्षण कर सकती है/करेगी।

(2) राज्य सरकार उपधारा (1) के अधीन कार्य करते समय आयोग से परामर्श करेगी।

राज्य सरकार द्वारा अनुदान।

12. (1) राज्य सरकार, इस निमित्त राज्य विधानमण्डल की विधि द्वारा विनियोग के बाद, अनुदानों के रूप में आयोग को ऐसी धन–राशि का भुगतान करेगी, जैसा राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उपयोग किए जाने के लिए उचित समझे।

(2) आयोग, इस अधिनियम के अधीन कृत्यों का पालन करने के लिए ऐसी धन–राशियां खर्च कर सकता है, जो वह उचित समझे तथा ऐसी धन–राशियां उप–धारा (1) में निर्दिष्ट अनुदानों में से भुगतानयोग्य खर्च के रूप में समझी जाएंगी।

13. आयोग, उचित लेखे तथा अन्य सुसंगत अभिलेख रखेगा और लेखों के वार्षिक विवरण ऐसे रूप में तैयार करेगा जैसा विहित किया जाए। लेखे।

14. (1) आयोग, पूर्व वित्त वर्ष के दौरान इसके क्रियाकलापों के पूर्ण लेखे देते हुए इसकी वार्षिक रिपोर्ट प्रत्येक वित्त वर्ष के लिए ऐसे रूप में तथा ऐसे समय पर तैयार करेगा, जो विहित किया जाए तथा राज्य सरकार को इसकी प्रति भेजेगा। वार्षिक रिपोर्ट।

(2) राज्य सरकार, राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखी जाने वाली वार्षिक रिपोर्ट रखवाएगी।

15. आयोग के अध्यक्ष, सदस्य और कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोक सेवकों के रूप में समझे जाएंगे। आयोग के अध्यक्ष, सदस्यों तथा कर्मचारियों का लोक सेवक होना।

16. (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है। नियम बनाने की शक्ति।

(2) विशेषतया तथा पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध कर सकते हैं, अर्थात् :–

(क) सदस्यों को भुगतानयोग्य वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबन्धन और शर्तें ;

(ख) प्ररूप जिसमें लेखों के वार्षिक विवरण धारा 13 के अधीन तैयार किए जाएंगे ;

(ग) प्ररूप जिसमें तथा समय जिस पर वार्षिक रिपोर्ट धारा 14 के अधीन तैयार की जाएगी;

(घ) कोई अन्य मामला, जो विहित किया जाना है या विहित किया जा सकता है ;

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के बाद यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखा जाएगा।

17. (1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों से अन्असंगत राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा उपबन्ध कर सकती है, जो इसे कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन प्रतीत हों। कठिनाइयां दूर करने की शक्ति।

(2) उप–धारा (1) के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, इसके किए जाने के बाद यथाशीघ्र, राज्य विधानमण्डल के समक्ष रखा जाएगा।

उद्देश्यों तथा कारणों का विवरण

संविधान के अनुच्छेद 340 के प्रावधानों के अनुसार विभिन्न जातियों के सामाजिक तथा आर्थिक पिछड़ेपन के मामले सुलझाने हेतु हरियाणा सरकार ने 7 सितम्बर, 1990 को न्यायाधीश श्री गुरनाम सिंह (सेवानिवृत्त) की अध्यक्षता में अपना पहला पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किया था। आयोग की सिफारिशों पर, राज्य सरकार ने अधिसूचना संख्या 299–एस0डब्ल्यू0(1) दिनांक 05.02.1991 द्वारा 10 जातियों अर्थात् अहीर, बिश्नोई, मेव, गुज्जर, जाट, जट सिक्ख, रोड़, सैनी, त्यागी तथा राजपूत पिछड़ी जातियों की सूची में शामिल किया था तथा इन जातियों को दिनांक 05.04.1991 को आरक्षण दिया था। राज्य सरकार ने आरक्षण नीति का पुनः परीक्षण किया तथा दिनांक 12.09.1991 को आदेश जारी किये कि अन्तिम निर्णय लिये जाने तक दिनांक 05.04.1991 को जारी पत्र से पहले की स्थिति के अनुसार भर्ती की जायेगी।

द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों के अनुसार राज्य सरकार ने दिनांक 07.06.1995 को पांच जातियां अर्थात् अहीर/यादव, गुज्जर, सैनी, मेव, लोध तथा लोधा को पिछड़े वर्गों की सूची में शामिल किया। दिनांक 20.07.1995 को पिछड़े वर्गों को दो ब्लॉक 'ए' तथा 'बी' में बांट दिया गया तथा 27 प्रतिशत आरक्षण दिया गया अर्थात् ब्लॉक 'ए' को 16 प्रतिशत तथा ब्लॉक 'बी' को 11 प्रतिशत ।

चूंकि, राज्य सरकार को सरकारी नौकरियों तथा शिक्षण संस्थाओं में विभिन्न अन्य जातियों को जिनमें जाट, जट सिक्ख, रोड़, त्यागी, बिश्नोई तथा मुल्ला जाट/मुस्लिम जाट शामिल हैं, आरक्षण देने हेतु विभिन्न प्रतिवेदन प्राप्त हो रहे थे, हरियाणा सरकार ने अधिसूचना दिनांक 8 अप्रैल, 2011 को न्यायाधीश (सेवानिवृत्त) श्री के0सी0 गुप्ता की अध्यक्षता में हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग पुनः गठित किया। आयोग द्वारा महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय, रोहतक से करवाये गये अध्ययन के अनुसार, दिनांक 12.12.2012 को अपनी सिफारिशें प्रस्तुत की तथा नौकरियों के ग्रुप 'ग' तथा 'घ' के पदों में तथा शिक्षण संस्थानों में दाखिले में इन जातियों के लिए पहले से अधिसूचित पिछड़े वर्गों को दिये गये 27 प्रतिशत आरक्षण के अतिरिक्त 10 प्रतिशत आरक्षण की सिफारिश की। दिनांक 28–02–2012 को ग्रुप 'क' तथा 'ख' के पदों में 4 प्रतिशत आरक्षण भी दिया गया (बाद में दिनांक 15.07.2014 को 5 प्रतिशत तक बढ़ा दिया)।

राज्य सरकार के उपरोक्त निर्णय को विभिन्न व्यक्तियों तथा संगठनों द्वारा माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय में चुनौती दी गई थी। उसके बाद, यह सुझाव दिया गया कि राज्य सरकार, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के पैटर्न पर हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग को वैधानिक दर्जा देवें, जिसकी मन्त्रणा, सामान्य रूप से राज्य सरकार पर बाध्य होगी। मामला, मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार की अध्यक्षता के अधीन गठित समिति में भी परीक्षित किया गया था और यह सुझाव दिया गया कि हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग को वैधानिक दर्जा देते हुए इसे गठित करने हेतु कदम उठाए जाएं।

संविधान का अनुच्छेद 340 सामाजिक तथा शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की स्थिति एवं मुश्किलों की जांच करने और उचित सिफारिश करने हेतु आयोग के गठन का उपबन्ध करता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय, दिनांक 16–11–1992 में रिट याचिका (सिविल) संख्या 930 ऑफ 1990–इन्द्रा साहनी व अन्य बनाम भारत संघ व अन्य की अनुपूरक–3 एस.सी.सी. 217 (1992) में अन्य पिछड़े वर्ग के नागरिकों को सूची में समावेश करने और अधिक समावेश और निम्न समावेश तथा शिकायत सुनने और सिफारिश करने हेतु भारत सरकार, राज्य सरकारों एवं केन्द्र शासित प्रशासकों को स्थाई तौर पर आयोग/ट्रिब्यूनल गठन करने के निर्देश दिये हैं। उपरोक्त प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य सरकारों को उक्त सन्दर्भित मुद्दों और अन्य पिछड़े वर्गों से जुड़े दूसरे मामलों की जांच करने हेतु आयोग को स्थाई तन्त्र के रूप में स्थापित करने व उसे सलाह प्रदान करने की शक्तियां है। आयोग राज्य सरकार को सलाह देगा जिसकी सलाह मानने के लिए सामान्यतः राज्य सरकार बाध्य होगी।

शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश तथा सरकारी नौकरियों में आरक्षण की मांग को लेकर राज्य में उग्र आंदोलन हुये। मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार की अध्यक्षता में गठित समिति की रिपोर्ट अनुसार राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि एक स्थाई तंत्र स्थापित किया जाए और अलग से कानून बनाकर इसे हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग के रूप में संवैधानिक दर्जा दिया जाए।

इसके अतिरिक्त अन्य पिछड़े वर्गों में शामिल करने, निष्कासित करने या ब्लॉक में बदलाव करने हेतु भविष्य में विभिन्न समुदायों द्वारा भी मांग की जा सकती है। इसलिए, यह आवश्यक हो गया है कि हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग स्थापित किया जाए।

उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए विधेयक लाया जाता है।

इसलिए विधेयक।

कृष्ण कुमार बेदी,
अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग
कल्याण मंत्री, हरियाणा।

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के खण्ड (1) तथा (3) के अनुसरण में राज्यपाल ने हरियाणा विधान सभा से इस विधेयक को प्रस्तुत करने तथा इस पर विचार करने की सिफारिश की है।

चण्डीगढ़:
दिनांक 29 मार्च, 2016.

आर0 के0 नांदल,
सचिव।

वित्तीय ज्ञापन

हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग विधेयक, 2016 की धारा 3 के अनुसार हरियाणा पिछड़ा वर्ग आयोग गठित करने का प्रावधान है। आयोग की स्थापना तथा इसके अधिकारियों पर होने वाला खर्च हरियाणा सरकार के राजकोष से किया जायेगा।

प्रत्यायोजित विधान संबंधी ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक का खण्ड 16 अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बनाने हेतु राज्य सरकार को सशक्त करती है। कार्यकारी शक्तियों को यह प्रत्यायोजन सामान्य प्रकृति का है। अतः प्रत्यायोजित विधान संबंधी यह ज्ञापन हरियाणा विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 126 के अधीन यथा अपेक्षित संलग्न है।

54206—H.V.S.—H.G.P., Chd.